भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 143*

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार

***143. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 में पूर्व प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में ''20 सूत्रीय कार्यक्रम'' के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और भूमिहीन लोगों को मालिकाना हक न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आवामन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली के भूमिहीन लोगों और गांवों के लिए कोई स्वामित्व अधिकार अधिसूचित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के गांवों का मालिकाना हक और कब्जा ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

''भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार'' के संबंध में दिनांक 5.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 143* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां।

(ख): वर्ष 1975-76 के दौरान "20 सूत्री कार्यक्रम" के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा आबंटित कृषि भूमि और 120 गज के भूखंडों के लाभार्थी आबंटियों का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि मालिकाना हक उन आबंटियों को दिया गया है, जिन्होंने आवेदन के आधार पर पट्टे की सभी शर्तें पूरी की हैं।

(ग) और (घ): डीडीए ने सूचित किया है कि दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1957 की धारा 507 के तहत अधिसूचना के माध्यम से गांवों के शहरीकरण के पश्चात् ग्राम सभा भंग हो गई है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 150 (3) के आधार पर, ग्राम सभा में शामिल सभी संपत्तियों का मालिकाना अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास उक्त ग्राम सभा की भूमि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22 (1) के तहत डीडीए को सौंप दी गई है।

अब तक, 252 गांवों की लगभग 16,000 एकड़ ग्राम सभा भूमि केन्द्र सरकार द्वारा डीडीए को सौंप दी गई है।

डीडीए ने बताया है कि पिछले 10 वर्षों में डीडीए द्वारा भूमिहीन लोगों और विशेष रूप से दिल्ली के गांवों के लिए कोई मालिकाना अधिकार अधिसूचित नहीं किया गया है।

******

भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार के संबंध में दिनांक 05.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 143 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 1975-76 के दौरान "20 सूत्री कार्यक्रम" के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और 120 गज के भूखंडों का ब्यौरा:

जिला	**कृषि भूमि के लाभार्थी आबंटियों की संख्या**	**120 गज भूखंड के लाभार्थी आवंटियों की संख्या**
उत्तर	389	144
उत्तर-पश्चिमी	99	शून्य
पूर्व	शून्य	शून्य
दक्षिण	शून्य	शून्य
दक्षिण-पूर्वी	शून्य	शून्य
दक्षिण-पश्चिमी	2706	1076
नई दिल्ली	10	शून्य
पश्चिम	शून्य	शून्य
मध्य	शून्य	69
उत्तर-पूर्वी	शून्य	शून्य
शाहदरा	शून्य	शून्य
कुल	3204	1289

*****